उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 66/2021–22

सुरेश सिंह.....अपीलकर्त्ता

बनाम

अनुप कुमार सिंह.....उत्तरकारी

आदेश

08.04.2022

यह रे0मि0 अपील वाद, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–24/2012–13 में पारित आदेश दिनांक–14.09.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलवाद का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :–

मौजा बाराटॉड़ अंचल दुमका के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में पी0ए0 वाद सं0–24/2012–13 दायर गया। अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा मौजा के जमाबंदी रैयतों की सूची समर्पित किया गया, जिसमें सिर्फ तीन जमाबंदी रैयत है। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी को एक–एक मत प्राप्त हुए। तीसरा जमाबंदी रैयत द्वारा किसी भी पक्ष को मत नहीं दिया गया। दोनो को बराबर–बराबर मत मिलने के पश्चात् भी अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। उत्तरकारी मौजा आसना में निवास करता है, जबकि अपीलकर्त्ता बाराटॉड़ में निवास करता है। अपीलकर्त्ता को मुख्य दण्डाधिकारी, दुमका के न्यायालय में G.R Case No. 1138/2005, TR Case No 225/2016 में सुनवाई के बाद Bail Bond दाखिल कराते हुए अरोप मुक्त किये जाने के कारण उत्तरकारी को मौजा बाराटॉड का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) अपीलकर्त्ता मौजा का निवासी एवं जमाबंदी रैयत है, जबकि उत्तरकारी सिर्फ जमाबंदी रैयत है, वह आसना मौजा में निवास करता है जो मौजा बाराटॉड़ से 200 मीटर की दूरी पर है।

(2) अपीलकर्त्ता को G.R Case No. 1138/2005, TR Case No. 225/2015 में आरोपमुक्त किया जा चुका है।

(3) उत्तरकारी के विरूद्ध दुमका (मु0) थाना केस नं0–18/2017, I.P.C धारा 147,148,341,323,324 एवं 506 के अन्तर्गत मामला दर्ज है तथा लंबित है।

(4) अपीलकर्त्ता को उनके विरूद्ध लंबित मुकदमें में आरोप मुक्त किये जाने के पश्चात् भी उन्हें मौजा का प्रधान पद नियुक्त नहीं किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है।

अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा प्रतिवेदन के साथ जमाबंदी रैयत की सूची समर्पित किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा बाराटॉड़ थाना नं0–2 सर्वे खतियान के अनुसार एक खास वसुली मौजा है। अब–तक इस मौजा के लिए कभी भी कोई प्रधान नियुक्त नहीं हुए है। प्रतिवेदन के अनुसार उक्त मौजा में मात्र तीन जमाबंदी है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रधान नियुक्ति के निर्धारित तिथि को तीनों जमाबंदी के रैयत उपस्थित थे। जिसमें दो जमाबंदी रैयतों से दोनो आवेदक (अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी) को एक–एक मत प्राप्त हुए। तीसरा जमाबंदी रैयत द्वारा किसी पक्ष को मत नहीं दिया गया। दोनो पक्ष को एक–एक मत प्राप्त होने के कारण दोनो से चरित्र प्रमाण–पत्र की मांग की गई। अपीलकर्त्ता के विरूद्ध G.R Case No 1138/2005 TR Case No 225/2018 को सुनवाई के वाद Bail bond दाखिल कराते हुए अरोप मुक्त किया गया था। फलस्वरूप उनके आवेदन को रद्द करते हुए उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया।

<u>प्रावधान</u>

Sec-5 Appointment of village headman of a khas village.- On the application of a raiyat or of landlord of any khas village and with the consent of at least two-thirds of the jamabandi raiyats of the village ascertained in the manner

prescribed, the Deputy Commissioner may declare that a headman shall be appointed for the village and shall then proceed to make the appointment in the prescribed manner.

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा बाराटॉड़ थाना नं0–2 सर्वे खतियान के अनुसार एक खास वसुली मौजा है। अब–तक इस मौजा में प्रधान नियुक्त नहीं हुए है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौजा प्रधानी नहीं है एवं पूर्व सर्वे से खास है।

(2) अपीलकर्त्ता का यह भी दावा है कि उत्तरकारी के विरूद्ध दुमका मु0 थाना केस नं0–18/2017 न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय दुमका में GR Case No 18/2017 लंबित है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी क्रिमनल केस में संलिप्त है। फलतः इनकी नियुक्ति को सही नहीं माना जा सकता है।

(3) उत्तरकारी दूसरी मौजा में निवास करते है। वह प्रधानी कार्य में पूरा समय देने में समर्थ है या नहीं ?

ऐसी स्थिति में इन बिन्दुओं पर जॉचकर ही पुनः निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत है।

आदेश

उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं एवं कानूनी प्रावधान के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि :–

(1) मौजा गेंजर सर्वे से खास है अथवा प्रधानी ?

(2) उत्तरकारी का निवास स्थान प्रधानी मौजा से कितनी दूरी है?

(3) उत्तरकारी के विरूद्ध कोई क्रिमनल केस लंबित है अथवा नहीं। इन बिन्दुओं पर विस्तृत जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश किया जाय। यदि मौजा गेंजर सर्वे से खास है, तो मौजा खास ही रहेगा। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

13/08/2022 2/6/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:14:02 +05:30
Location: 169.254.227.244

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।